

पत्रांक 210 /

सं०सं०-तक०-76/17

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

नगर निवेशक,
राँची नगर निगम,
राँची।

राँची, दिनांक 16/5/17

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1340, दिनांक-02.05.2017

विषय :- श्री सुशांत कुमार मुखर्जी एवं अन्य, फ्लैट नं०-302, अकांक्षा अपार्टमेन्ट, फेस-2, बिरसा बस स्टैण्ड, कांटाटोली, खाता नं०-18 RS, प्लॉट नं०-734, सब प्लॉट नं०-734/B 734/C 734/D 734/E, वार्ड नं०-34, थाना नं०-202, मौजा-हेसल राँची में निर्मित भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

महाशय,

प्रारंभिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले प्रस्तावित भवन के लिये अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 ली० क्षमता का एक अदद अण्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के उपर 20,000 ली० क्षमता का एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
4. प्रस्तावित भवन में 1650 ली०/मि० क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति करने में सक्षम हो।
5. समान क्षमता का वैकल्पिक पम्प चालित पम्प की व्यवस्था रखी जाय।
6. प्रस्तावित भवन के उपर 900 ली०/मि० क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. सीढ़ियों को Enclose staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
8. प्रस्तावित भवन के विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जायें।
9. N.B.C के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चौड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
10. प्रस्तावित भवन के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जाय।
11. प्रस्तावित भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender को Movement होने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. प्रस्तावित भवन में फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के०जी० से कम न हो।

Aman Construction

Narender Thakur
Partner

Aman Construction

Anil Kumar Singh

Partner

(क०प०उ०..)

14. प्रस्तावित भवन की गहराई लगभग 58.57 मीटर है। भवन के किसी एक ^{तरफ} साईड सेट-बैक इस प्रकार छोड़ा जाय कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों को भवन के पिछले हिस्से तक जाने एवं मुड़कर वापस आने में असुविधा न हो।
15. प्रस्तावित भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
16. Front Setback Area इस प्रकार खुला एवं चौरस रखने की व्यवस्था की जाय कि सामने का कम से कम 12 मीटर चौड़ी, समतल एवं ठोस जगह अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु हमेशा उपलब्ध रह सके।
17. उपर्युक्त अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था करा लिये जाने के पश्चात् भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरतः अनुपालन कर लिया गया है।
18. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच संबंधित भवन प्राधिकार के माध्यम से झारखण्ड अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
19. भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जायेगा।
21. प्लान की एक सेट प्रति सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Handwritten signature
16.05.17

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Aman Construction,

Handwritten signature
Partner

Aman Construction

Handwritten signature

Partner